उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधि□ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 241 वि0प्रे0खं (गा)/ दिनांक. 15.02.2021

विषयः– **400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वनप्रभाग
रेनुकूट,सोनभद्र।

संदर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11–सी0 **FP/UP/TRANS/32650/2018** दिनांक 14.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है–

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक–14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक–1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक–12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	महोदय से सम्बन्धित।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय से सम्बन्धित।
6	बिन्दु सं0 6 व 7 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 6 व 7 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1167 वि0प्रे0ख0 II (वां) दिनांक–27.08.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु आपसे विनम्र आग्रह किया गया था अतः आप से पुनः विनम्र निवेदन है कि प्रस्ताव मे दण्डात्मक एन0पी0वी न लगायी जाने तथा प्रस्ताव मे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगायी गयी कमियों को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5, 6 व 7 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. / वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. विoप्रेoखं (गा)/ दिनांक.

विषयः– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वनप्रभाग
रेनुकूट,सोनभद्र।

संदर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11–सी0 FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है–

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक–14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक–1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक–12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	महोदय से सम्बन्धित।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय से सम्बन्धित।
6	बिन्दु सं0 6 व 7 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 6 व 7 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1167 वि0प्रे0ख0 II (वा) दिनांक–27.08.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु आपसे विनम्र आग्रह किया गया था अतः आप से पुनः विनम्र निवेदन है कि प्रस्ताव मे दण्डात्मक एन0पी0वी न लगायी जाने तथा प्रस्ताव मे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगायी गयी कमियों को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5, 6 व 7 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. 241 / वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक. 15.2.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 242 वि0प्रे0खं (गा)/ दिनांक. 15.02.2021

विषयः– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
मिर्जापुर वन प्रभाग
मिर्जापुर ।

संदर्भः– 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11–सी0 FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 2752/15 दिनांक 15.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है–

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक 14. 08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक–14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक–1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक–12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र से सम्बन्धित	लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मे संलग्न है।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/ वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय स्तर से होना है।
6	बिन्दु सं0 6, 7 व 8 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 6, 7 व 8 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक–15. 07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक–15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया है, जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 5, 6, 7 व 8 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. / वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधि[illegible]ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलव
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. विoप्रे0खं (गा)/ दिनांक.

विषयः— 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
मिर्जापुर वन प्रभाग
मिर्जापुर ।

संदर्भः— 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11—सी0 FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 2752/15 दिनांक 15.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है—

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक—14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक—1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक—12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	वन अधिकार अधिनियम—2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र से सम्बन्धित	लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मे संलग्न है।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय स्तर से होना है।
6	बिन्दु सं0 6, 7 व 8 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 6, 7 व 8 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक 15.07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक 15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया है, जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 5, 6, 7 व 8 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. 242 / वि0प्रे0खं0—(गा)/ दिनांक. 15.02.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED UPPTCL

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधि[illegible]ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 243 वि0प्रे0खं (गा)/ दिनांक. 15.02.2021

विषयः— 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्यजीव प्रभाग
मिर्जापुर।

संदर्भः— 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11–सी0 FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 2165/33–1 दिनांक 23.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है–

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11–सी दिनांक–14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक–1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक–12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	महोदय के स्तर से होना है।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय के स्तर से होना है।
6	बिन्दु सं0 8 व 9 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 8 व 9 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक–15.07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक–15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया है, जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5, 8 व 9 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र तथा लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव संरक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. / वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन्यजीव संरक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

U.P. Power Transmission Corporation Limited logo — UPPTCL

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधि॑ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. विoप्रेoखं (गा)/ दिनांक.

विषयः— 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्यजीव प्रभाग
मिर्जापुर।

संदर्भः— 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11—सी0 FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 2165/33—1 दिनांक 23.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है—

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक—14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक—1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक—12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	महोदय के स्तर से होना है।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय के स्तर से होना है।
6	बिन्दु सं0 8 व 9 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 8 व 9 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक 15.07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक—15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया है, जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5, 8 व 9 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र तथा लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव संरक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. 243 / वि0प्रे0खं0—(गा)/ दिनांक. 15.02.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य वन्यजीव संरक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 244 वि0प्रे0खं (गा)/ दिनांक. 15.02.2021

विषयः— **400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र।

संदर्भः—1.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11—सी0 FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 1724/सोनभद/ 33 दिनांक 25.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है—

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक—14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक—1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक—12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय स्तर से होना है।
5	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक—15.07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक—15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया है, जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5 व 6 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. / वि0प्रे0खं0—(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधि□ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. विo्प्रेoखं (गा)/ दिनांक.

विषयः— 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र।

संदर्भः—1.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1698/11—सी0 FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 1724/सोनभद/ 33 दिनांक 25.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है—

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक—14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक—1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक—12.11.2020 द्वारा ओबरा वनप्रभाग में जमा कर दिया गया था।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय स्तर से होना है।
5	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक—15.07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक—15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया है, जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5 व 6 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. 244 / वि0प्रे0खं0—(गा)/ दिनांक. 15.02.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधि[illegible]ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के०वी० विद्युत् उपकेन्द तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 245 वि०प्रे०खं (गा)/ दिनांक. 15.02.2021

विषयः— 400 के०वी० अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा,सोनभद्र।

संदर्भः—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 698/11—सी०FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के०वी० अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है—

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक—14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक 1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक—12.11.2020 द्वारा आपके कार्यालय में जमा कर दिया गया था।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय स्तर से होना है।
5	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक—15.07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक—15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया था जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5 व 6 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. / वि0प्रे0खं0—(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
2. मुख्य अभियन्ता, (पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@gmail.com

कार्यालय अधि[illegible]ासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत् उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. वि0प्रे0खं (गा)/ दिनांक.

विषयः— 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा,सोनभद्र।

संदर्भः—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 698/11—सी0FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 14.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में कुछ आपत्तिया/कमियां दर्शायी गयी है जिसका निराकरण निम्नवत है—

	कमियां	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता को प्रस्ताव से पृथक करने के सम्बन्ध में।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनवद्धता को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक 14.08.2020 द्वारा वांछित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 343/11—सी दिनांक—14.08.2020 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त इस कार्यालय पत्रांक 1582 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक—12.11.2020 द्वारा आपके कार्यालय में जमा कर दिया गया था ।
3	लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में गलत हरियाली घनत्व अंकित होने से सम्बन्धित	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रपत्र संलग्न है।
4	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेंन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	महोदय स्तर से होना है।
5	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना से सम्बन्धित	बिन्दु सं0 5 व 6 दण्डात्मक एन0पी0वी0 से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 991 वि0प्रे0ख0-II/(वा) दिनांक—15.07.2020 व पत्रांक 165 वि0प्रे0ख0/(गा) दिनांक—15.07.2020 द्वारा प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर से विनम्र आग्रह किया गया था जिसकी प्रति महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में बिन्दु सं0 4, 5 व 6 में दर्शायी गयी आपत्तियों/कमियों (महोदय स्तर से होना है) को दूर कर अपेक्षित प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. 245 / वि0प्रे0खं0—(गा)/ दिनांक. 15.02.2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, (पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता